न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 1558–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–7–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 90/पुर्नस्थापन/11–12

राजीव कुमार त्रिपाठी आत्मज श्री आर0 एस0 त्रिपाठी
आयु वयस्क, निवासी ए–178, शाहपुरा
भोपाल म0 प्र0

.....अपीलार्थी

विरूद्ध

बाबूलाल, छगनलाल, धीसीलाल,
हरिनारायण, राधेश्याम, छतरसिंह,
गजराम, राजकुमार, सीमाबाई,
मीराबाई, रीनाबाई, सभी पुत्र पुत्रियां
श्री गोपीलाल, श्रीमती रेखा बाई
बेवा गोपीलाल, सभी जाति–गाडरी,
सभी निवासीगण ग्राम कानासैया,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल म0 प्र0

.....प्रत्यर्थीगण

श्री आर0 एस0 चौधरी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 6 जून, 2014)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 35 (4) के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश 31–7–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित प्रकरण कमांक 40/ए/09–10 में दिनांक 1–8–2011 को आदेश पारित कर अपीलार्थी के सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया । अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश को निरस्त कराने एवं मूल अपील प्रकरण पुर्नस्थापित कराने हेतु संहिता की धारा 35 (3) के अंतर्गत आवेदन पत्र अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पत्र पर अपर आयुक्त द्वारा पुर्नस्थापन प्रकरण कमांक 90/पुर्न0/11–12 दर्ज किया गया । प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान दिनांक 31–7–2012 को आवेदक की ओर से पुनः सूचना उपरान्त भी किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी के अधिवक्ता अपर आयुक्त के समक्ष नियत पेशी दिनांक 31–7–2012 को अपनी डायरी में अंकित नहीं कर पाये थे, इस कारण वे नियत पेशी दिनांक 31–7–2012 को उपस्थित नहीं हो सके । अतः अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि पुर्नस्थापन प्रकरण बिना पक्षकार को सुने निरस्त नहीं किया जाना चाहिये, अतः ऐसा करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधिवक्ता की त्रुटि के कारण पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये । तर्क के समर्थन में 1988 राजस्व निर्णय 214 एवं 1999 राजस्व निर्णय 214 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 35 (4) के अंतर्गत अपील प्रचलन योग्य नहीं है, क्योंकि अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 35 (3) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का गुणदोष पर निराकरण नहीं किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त के द्वारा पुर्नस्थापन में पारित आदेश दिनांक 31–7–2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि सहायता मूल अपील प्रकरण के पुर्नस्थापन की चाही गई है, जो कि इस न्यायालय द्वारा नहीं दी जा सकती है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के सूचना उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण मूल अपील प्रकरण दिनांक 1–8–2011 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । उक्त मूल प्रकरण को पुर्नस्थापित कराने हेतु अपीलार्थी की ओर से संहिता की धारा 35 (3) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । तदनुसार अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 90/पुर्नस्थापन/11–12 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक की ओर से दिनांक 31–7–2012 को पुनः सूचना उपरान्त किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण पुर्नस्थापन प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । उक्त कार्यवाही करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि पुर्नस्थापन प्रकरण बिना पक्षकार को सुने निरस्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि अपीलार्थी को सूचना नहीं होती अथवा वह उपस्थित होता और उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता, तब उनका यह तर्क मान्य किये जाने योग्य था, परन्तु अपीलार्थी सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहने के कारण यह नहीं ठहराया जा सकता है कि उन्हैं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा जो न्याय दृष्टांत 1988 राजस्व निर्णय 214 प्रस्तुत किया गया है, वह इस प्रकरण में लागू नहीं होता है, क्योंकि उक्त प्रकरण में पक्षकार को किसी प्रकार की कोई सूचना ही नहीं दी गई थी, जबकि इस प्रकरण में अपीलार्थी सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहे है । अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में कि अधिवक्ता की त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये, न्यायहित में अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत पुर्नस्थापन प्रकरण 1000/–रूपये खर्चे के साथ न्याय हित में पुर्नस्थापित किया जाता है । प्रकरण पुर्नस्थापन आवेदन पत्र पर विचार कर आदेश पारित करने हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर